

सेवा में,
सचिव
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक 2222 / अनापत्ति /
5 भाग फल

7

दिनांक 11/7/12

विषय - तलपट मानचित्र सं० 210300312 के अनापत्ती प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 1683/अनापत्ति प्रमाण पत्र/6 दिनांक 11.06.2012 एवं मै० रामनाथ हाडिसंग प्रा०लि० झांसी के आपको सम्बोधित पत्र दि० 18.06.2012 तथा पृष्ठांकित पत्र दिनांक 03.07.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त हेतु आपके पत्र सं० 237/जे.डी.ए./अना०प्रा०प० - (2012-13) दि० 05 मई 2012 के साथ प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं० 210300312 जो (मौजा बिजौली स्थित आराजी सं० 456 तथा 477 तहसील एवं जिला झांसी) के अनुसार प्रस्तावित स्थल आवासीय कालौनी के आस पास जलसंस्थान की पेयजल व्यवस्था नहीं है।

इसके अतिरिक्त श्री संदेश गुप्ता एवं श्री सुभाष गुप्ता वास्ते उपरोक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर दी गयी सूचना एवं अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित आवासीय कालौनी के निर्माण में जल संस्थान झांसी को आपत्ति नहीं है। अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न - प्रारूप की छायाप्रति एवं उनके द्वारा किये गये अनुबन्ध/शपथ पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र)

अधिशायी अभियन्ता
जलसंस्थान, झांसी

पत्र सं० एवं दिनांकित उपरोक्त प्रतिलिपि -

1. महाप्रबन्धक जलसंस्थान झांसी द्वारा उपरोक्त में कार्यवाही हेतु मौखिक दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता जलसंस्थान झांसी को उपरोक्त की छायाप्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री संदेश गुप्ता एवं श्री सुभाष गुप्ता पुत्र स्व० श्री बाबूलाल निवासी 91/2, सिविल लाइन झांसी को अनुपालन करने हेतु प्रेषित है।

अधिशायी अभियन्ता
जलसंस्थान, झांसी